भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2258
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

घरेलू फार्मास्युटिकल निर्माता

2258. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में शुरू किए गए फार्म आईए केन्द्रीय डिजिटल मूल्य निर्धारण डाटाबेस पर बैच-वार कुल कितने घरेलू औषध विनिर्माताओं ने अपनी उत्पादन लाइनों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया है; और

(ख) विगत चार महीनों के दौरान पूरे तमिलनाडु में अधिक मूल्य वसूलने अथवा कृत्रिम खुदरा स्टॉक को रोकने के लिए वितरकों के विरुद्ध राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा शुरू की गई दंडात्मक कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): औषध विभाग द्वारा दिनांक 30 जून 2026 के सां आ. 3516 (अ) के माध्यम से अधिसूचित औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 के अनुसार, किसी भी मौजूदा विनिर्माता, जो ऐसे नए औषधि फॉर्मूलेशन का उत्पादन कर रहा है जिसका खुदरा मूल्य पिछले बारह महीनों में एनपीपीए द्वारा अधिसूचित किया गया है, के लिए उसी खुदरा मूल्य का अनुपालन करना और लॉन्च की तारीख से एक महीने के भीतर फॉर्म-1क में एनपीपीए को सूचित करना आवश्यक है। फॉर्म-1क में घरेलू औषधि विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन लाइनों या बैचों का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।

(ख): राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को समय-समय पर औषध विभाग द्वारा जारी औषधि मूल्य नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों की निगरानी करता है और मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू), राज्य औषधि नियंत्रकों, खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों, बाजार डेटाबेस की रिपोर्टों और शिकायत निवारण चैनलों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिप्रभारन करने वाले विनिर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई करता है। उपर्युक्त स्रोतों से प्राप्त अधिप्रभारन के संदिग्ध मामलों की जांच की जाती है और यदि प्रथम दृष्टया अधिप्रभारन का मामला बनता है, तो डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाती है।

पिछले चार महीनों के दौरान, एनपीपीए ने तमिलनाडु सहित पूरे देश में विनिर्माताओं को 103 मांग नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा, एनपीपीए औषध कंपनियों द्वारा अधिप्रभारन किए जाने के संबंध में राज्य-वार रिकॉर्ड नहीं रखता है।
